तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकील श्री नवीन कुमार के पेश किया। साथ ही दस्तावेज की सूची पेश की। शामिल पत्रावली की। वास्ते जवाब अप्रार्थी रामप्रसाद की ओर से पत्रावली दिनांक 12/05/25 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई
12/05/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०/प्रार्थी रामप्रसाद हाजिर वकील श्री नवीन कुमार के जवाब प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश किया। शामिल पत्रावली किया। चैरीकार सरकार उप० वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 13/05/25 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
13/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। हमने वकील उभयपक्ष बहस श्रवण किया। पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करते व पत्रावली, एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कुलदीप कुमार हाजिर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	13/05/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 149/2022
प्रकरण दायर दिनांक 28.06.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 13.05.2025

उनवान

1. उम्मेद पुत्र दयाचन्द
2. कोकली पत्नि श्रीनारायण
3. जगदीश पुत्र श्रीनारायण
4. धनकोर पुत्री हरिकिशन
5. धनबाई पुत्री हरी किशन
6. धर्मसिंह पुत्र हरिकिशन
7. नहनी पत्नि दयाचन्द
8. ब्रजमोहन पुत्र हरिकीशन
9. बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण
10. मु० कमली पत्नि श्योदान
11. मुखराज पुत्र हरिकिशन
12. रणवीर पुत्र श्रीनारायण
13. रतीराम पुत्र श्योचान
14. राजेन्द्र पुत्र श्रीनारायण
15. यशपाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
16. महावीर पुत्र स्व0 लक्ष्मण
17 सोनी देवी पत्नि स्व० हरिकिशन
18. हुक्मसिंह पुत्र श्योदान

जाति समस्त गुर्जर निवासी गूजरबास तहसील बांदीकुई

19 हरज्ञान पुत्र दयाचंद जाति गुर्जर निवाती गुजरबास तहतील बसवा जिला दौसा

:=– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा
2. बच्चू सिंह पुत्र हरसहाय गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गूजरबास तह. बांदीकुई
3. रामप्रसाद पुत्र कानाराम उर्फ कान्या जाति गुर्जर निवासी गूजरबास तह. बांदीकुई जिला दौसा

: =– अप्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लै0 रे0 एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी

निर्णय दिनांक 13.05.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत पत्थरगढी किये जाने इस आशय का पेश किया कि भूमि काश्त आराजियात खाता संख्या नया 14 पुराना 15 के खसरा नम्बर 35 रकबा 0.3600 हैक्टे०, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा नंबर 09 रकबा 0.0300 हैक्टे० कुल किता 4 कुल रकबा 0.4900 हैक्टे० लगानी 21/– रूपये 40 पैसे वाकै ग्राम गुजरबास तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि की बाबत दिनांक 22.06.2022 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनाक 20.06.2022 को हो चुका है किन्तु कुछ असामाजिक तत्व भविष्य में हमसे विवाद उत्पन्न कर सकते हैं इसलिये उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार हासिल है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के जिम्मन नम्बर एक में वर्णित भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाकर पत्थर गढ़ी किये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी रामप्रसाद, बच्चूसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 35, 38, 9 वाके गांव गूजरबास प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार पेश कर अवगत करवाया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र के लिए आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने की रिलिफ न्यायालय हाजा से चाही गयी है उसके आस पडौस के समस्त खातेदारो को पक्षकार बनाय जाना कानूनन आवश्यक है प्रार्थीगण ने बदनीयती पूर्वक बिना पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये केवल तहसीलदार बांदीकुई को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। मिन प्रार्थी आराजी खसरा नंबर 35, 38 के लगते हुए खसरा नंबर 36,37 व 9 के सहखातेदार है। कानूनन मिन प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त प्रकरण में मिन प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाने बाबत निवेदन किया । प्रार्थना पत्रो का अवलोकन कर वकील उभयपक्ष पर बहस सुन प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. स्वीकार कर प्रार्थी रामप्रसाद, बच्चूसिंह को अप्रार्थी संख्या 02, 03 के रूप में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश कर अवगत करवाया कि धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवन्यू एक्ट) 1956 कहती है कि

(1) किन्ही सीमाओं के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का विनिश्चय, जहां तक सम्भव हो विद्यमान संर्वेक्षण नक्शों के आधार

Scanned with OKEN Scanner

पर तथा जहां यह सम्भव नही हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी विवाद में किसी जाँच के दौरान भूमि अभिलेख अधिकारी इस बात के सम्बन्ध में अपना समाधान करने में असमर्थ हो किस पक्षकार का कब्जा है या उससे यह प्रकट हो कि जाँच प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व की अवधि के भीतर विधि संलग्न, विधि योगियों को सदोष पर कब्जा करके कब्जा प्राप्त किया गया है तो भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेपत जाँच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तद् नुसार सीमा विनिश्चित करेगा। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवन्यू एक्ट) 1956 सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 से अभिकथित रीति से विनिश्चित किये जावेगे।

2. यह है कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी उम्मेद, कोकली, जगदीश, नहनी, बाबूलाल, कमली, रणवीर, रत्तीराम, राजेन्द्र, हुकमसिंह, हरज्ञान द्वारा एक दावा उनवान जगदीश बनाम रामेश्वर वगै. दावा बेदखली एवं प्राप्ति कब्जा स्थायी निषेधाज्ञा भूमि काश्त खसरा नं. 9 संपूर्ण रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नं. 39 रकबा 0.02 हैक्टे. संपूर्ण एवं खसरा नं. 35 रकबा 0.36 हैक्टे. का मिन भाग पश्चिमी हिस्सा दो गज चौडाई एवं पूरी लंबाई में नक्शा संलग्न में बैरंग सुर्ख शब्द क, ख, ग, घ से प्रदर्शित एवं खसरा नं. 38 रकबा 0.08 हैक्टे. उत्तर पूर्वी हिस्सा आबादी वादीगण के पूर्व का हिस्सा दो एयर नक्शा संलग्न हाजा में बरंग सुर्ख शब्द च, छ, ज, झ से प्रदर्शित है, पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को कराया जाये। दिनांक 09.03.2012 को पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण द्वारा भूमि विवादित मिन अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त माना है। उक्त वाद वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर के अपील डिकी/T.A./2043/2021/दौसा रामेश्वर बनाम जगदीश वगै. के निर्णय दिनांक 19.05.2022 के द्वारा पुनः सुनवाई के लिये रिमांड किया गया है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2025 नियत है कानून जिस भूमि के संदर्भ में कब्जे को लेकर विवाद हो वहाँ पहले कब्जे का निर्णय करने के पश्चात ही पत्थरगढी की जा सकती है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण तथ्यो को छुपाकर पेश किया है। जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

3. मिन अप्रार्थी एवं अन्य लोगों द्वारा श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद संख्या 22/2021 उनवानी उम्मेद बनाम रामेश्वर दावा स्थायी निषेधाज्ञा वाके आराजी खसरा नं. 35, 38, 39 वाके ग्राम गुर्जरबास पेश किया हुआ है। जिसके साथ प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल ना करे के आदेश पारित कर रखे है। इस कारण भी उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी पर सुनवाई किया जाना विधि विरूद्ध है।

4. यह है कि एक वाद प्रार्थीगण में से कुछ प्रार्थीगण द्वारा उम्मेद बनाम रामेश्वर पेश किया हुआ है जो जेर विचाराधीन है जिसमें भी माननीय न्यायालय हाजा द्वारा आराजी खसरा नं. 38 के संबंध में मौका की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश पारित कर रखे है।

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि मिन अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई के समक्ष दावा उद्घोषणा, सुखाधिकार एवं हुक्म इक्तनाई दवामि उनवान बच्चू सिंह बनाम जगदीश वगै. पेश कर रखा है जो जेर विचाराधीन है जिसमें अर्सा करीबन 70 वर्षों से चले आ रहे रास्ते जो कि खसरा नं. 38, 39 वाके गांव गुजरबास में होकर जा रहा है, को रास्ता घोषित करवाने की रिलिफ चाही है। दावे की प्रति जवाब के साथ पेश है। दावे के साथ पेश प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखा गया है। न्यायालय द्वारा मुताबिक मौका रिपोर्ट मौका की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद किया गया है।

6. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल तहसीलदार को पक्षकार बनाकर प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी करने बाबत पेश करना इनकी बद्देहान्ति को दर्शाता है। प्रार्थीगण मिन प्रतिवादी के अर्सा करीबन 70 वर्षों से बजमाने बुजुर्गान के चले आ रहे कब्जे जो कि रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा को जबरन बंद करना चाहते है। प्रार्थीगण पत्थरगढी के जरिये मिन प्रतिवादी को रास्ते के सुखाधिकार से वंचित कर उसके मूलभूत अधिकारो का हनन करना चाहते है। जब प्रार्थीगण स्वयं भूमि विवादित पर मिन प्रतिवादी एवं अन्य लोगो का कब्जा मान रहे है तो बिना कानूनी प्रकियां के अर्सा करीबन 70 वर्षों से चले आ रहे कब्जे से पत्थरगढी के जरिये बेदखल करवाना विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. यह है कि कानूनन पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण जिन खसरा नम्बरान की करवाना चाहते है। उनके सभी पडौसी खातेदार आवश्यक पक्षकार है कानूनन उन सभी पडौसी खातेदारान को सुना जाना कानूनन जरूरी है। प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

8. यह है कि उपरोक्त प्रकरण में आराजी खसरा नं. 35 व 38 के लगते हुए खसरा नं. 36 व 37 स्थित है। बिना उन सभी पडौसी सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र विचारण करना विधि विरुद्ध है नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

इसी प्रकार खसरा नं. 39 व 9 के पडौसी खातेदारों में से किसी को भी पक्षकार नही बनाया गया है। कानूनन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा वाईज जवाब निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 01 रिकार्ड से सम्बन्धित है।

2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढन्त झूठे तथ्य दर्ज किये गये है। भूमि विवादित पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त ही नही है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा एक दावा जगदीश वगै. बनाम रामेश्वर वगै. बाबत दस्तायाबी एवं प्राप्ति कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा भूमि काश्त खसरा नं. पूर्ण 39, 38 एवं 35 स्थित रामा मौजा गूजरबास तहसील बसवा पेश किया गया था। जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय उनवानी प्रकरण रामेश्वर बनाम जगदीश प्रसाद वगै. अपील डिकी/टी. ए./2043/2021 दौसा निर्णय दिनांक 19.05.2022 से रिमाण्ड होकर पुनः सुनवाई के लिए न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण का यह कहना कतई गलत है कि कुछ असामाजिक तत्व भविष्य में

अपूर्ण

हमसे विवाद उत्पन्न कर सकते है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण पत्थरगढी की आड में मिन प्रतिवादी के वर्षों पुराने कब्जे से जबरन बेदखल करना चाहते है और वर्षो से चले आ रहे रास्ते को बन्द करना चाहते है। कानूनन जब तक भूमि वादग्रस्त को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया जाना विधि सम्मत नही है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 03 कानूनी है जवाब मोहताज नही है।

प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम गूजरबास खाता संख्या नया 14 पुराना 15 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4900 हैक्टेयर एवं मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम गुजरबास दिनांक 22.06.2022 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम गूजरबास खाता संख्या नया 14 पुराना 15 में प्रार्थीगण संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदार है। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम गुजरबास दिनांक 22.06.2022 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम गूजरबास खाता संख्या नया 14 पुराना 15 के खसरा नंबर 35 रकबा 0.3600 हैक्टे०, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा नंबर 09 रकबा 0.0300 हैक्टे० कुल किता 4 कुल रकबा 0.4900 हैक्टे० का सीमाज्ञान हो चुका है। एवं जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि से संबंधित दावा उद्घोषणा, सुखाधिकार एवं हुक्म इम्तनाई दवामि बच्चू सिंह बनाम जगदीश सिंह माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई में विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में मुताबिक मौका रिपोर्ट मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है । जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा झूठे मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है। भूमि विवादित पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त ही नही है ।भूमि वादग्रस्त से संबंधित एक प्रकरण जगदीश बनाम रामेश्वर वगै. न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में पत्थरगढी हेतु अंकित खसरा नंबरान पर प्रार्थीगण का कब्जा संबंधित विवाद होना प्रकट होता है। अतः वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा संबंधित विवाद होने से उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

13/5/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner